

कार्यालय सहायक अभियन्ता (प्रथम)
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक

५७ / Com 10.13

दिनांक ०९-०७-१६

सेवा में,

प्रबन्धक,
बनारस पब्लिक स्कूल,
ग्राम-बर्जी, नयेपुर,
वाराणसी।

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत विद्यालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक-शून्य दिनांक 22.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके प्राथमिक विद्यालय की जॉच अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। विद्यालय नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुरूप पाया गया।

सलगनक - चेकलिस्ट।

सहायक अभियन्ता (प्रथम)
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
वाराणसी

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, वाराणसी को डायरी संख्या-3353/1 सी०बी० दिनांक 23.07.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता (प्रथम)
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
वाराणसी

बनारस पब्लिक स्कूल, बर्जी, नयेपुर-वाराणसी
विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(क) प्राथमिक विद्यालय (नर्सरी से कक्षा-5):-

| क्र० सं० | सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु | जांच आख्या |
|----------|--|------------------------------------|
| | <u>भवन की चेक लिस्ट</u> | |
| 1. | क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है? | हाँ |
| 2. | क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है? | हाँ |
| 3. | क्या भवन एक मंजिल से अधिक ऊँचा है? | नहीं |
| 4. | क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमी०) है? | 1.972 Hec. |
| 5. | क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है अथवा नहीं? | हाँ |
| 6. | क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है? भवन के सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है? | हाँ, सेट बैक में पार्किंग नहीं है। |
| 7. | क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है? | हाँ |
| 8. | क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है? | हाँ |
| 9. | क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं लाई गयी? | हाँ, R.C.C. की बनी है। |
| 10. | क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है? | हाँ |
| 11. | क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है? | नहीं |
| 12. | क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (छंटे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है? | हाँ |
| 13. | क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है? | हाँ |
| 14. | क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है? | हाँ |
| 15. | क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं? | हाँ |
| 16. | क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है? | हाँ |
| 17. | क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1300 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है? | आवश्यक नहीं |

(Signature)

19/07/09/16
(Ranjit)
JE

सहायक अभियन्ता (I)
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
वाराणसी